



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222369
CG-DL-E-12102020-222369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3130]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/ अश्विन 20, 1942

No. 3130]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ ASVINA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3532(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3948(अ) तारीख 25 अक्टूबर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31 अक्टूबर 2019 और संख्या का. आ. 2251(अ) तारीख 07 जुलाई 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 07 जुलाई 2020 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 18 फरवरी 2020 और 20 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

मंडल : श्रीरंगापुर		जिला : वनापरथी		राज्य : तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीरंगापुर	1.वेंकटापुर	347	00	21
2			MDR सड़क	00	04
3			346	01	02
4			332/20	00	01
5			332/21	00	06
6			332/22	00	20
7			332/23	00	10
8			332/24	00	07
9			332/25	00	05
10			332/26	00	02
11			332/29	00	08
12			334	00	15
13			335	00	06
14			336	01	07
15			337	01	00
16			337 (नहर)	00	02
17			337(सड़क)	00	02
18			303	00	10
19			303 (सड़क)	00	01
20			301	00	01
21			305	00	10
22			306	00	16
23			286	01	05
24			286 (नाला)	00	01
25			285	00	15
26			169	00	09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27			171	00	25
28			172	00	09
29			173	00	38
30			173 (सड़क)	00	02
31			157	00	12
32			157 (नाला / रास्ता)	00	01
33			174	00	14
34			153	00	34
35			130	00	03
36			131	00	01
37			129	00	08
38			127	00	11
39			128	00	02
40			126	00	06

[फा. सं. आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3532(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3948(E) dated the 25th October 2019 and S.O.No. 2251 (E) dated 07/07/2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 31st October 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 18 February 2020 and 20th July 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Srirangapur		District : Wanaparthy		State : Telangana	
Sr.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Srirangapur	1.Venkatapura	347	00	21
2			MDR Road	00	04
3			346	01	02
4			332/20	00	01
5			332/21	00	06
6			332/22	00	20
7			332/23	00	10
8			332/24	00	07
9			332/25	00	05
10			332/26	00	02
11			332/29	00	08
12			334	00	15
13			335	00	06
14			336	01	07
15			337	01	00
16			337 (Canal)	00	02
17			337(Village Road)	00	02
18			303	00	10
19			303 (Road)	00	01
20			301	00	01
21			305	00	10
22			306	00	16
23			286	01	05
24			286 (Nala)	00	01
25			285	00	15
26			169	00	09
27			171	00	25
28			172	00	09
29			173	00	38
30			173 (Road)	00	02
31			157	00	12
32			157 (Nala / Road)	00	01
33			174	00	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34			153	00	34
35			130	00	03
36			131	00	01
37			129	00	08
38			127	00	11
39			128	00	02
40			126	00	06

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ.3533(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3949(अ) तारीख 25 अक्टूबर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31 अक्टूबर 2019 और संख्या का. आ. 2250(अ) तारीख 07 जुलाई 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 07 जुलाई 2020 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 18 फरवरी 2020 और 20 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : राजापुर		जिला : महबूबनगर		राज्य : तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजापुर	1.ईडगाणपल्ली	दीन्डि नदी	00	17
2			357	00	09
3			356	00	01
4			358	00	02
5			354	00	18
6			353	00	11
7			351	00	12
8			369	00	05
9			350	00	08
10			349	00	14
11			348	00	10
12			347	00	11
13			346	00	15
14			345	00	08
15			342	00	02
16			344	00	01
17			433 (रासता)	00	01
18			243	00	09
19			243 (नाला)	00	03
20			244	00	04
21			250	00	37
22			251	00	23
23			259	01	06
24			258	00	17
25			254	00	10
26			256	00	03
27			255	00	24
28			255(रासता)	00	01
29			307/48	00	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30			307/48 (नाला)	00	02
31			307/47	00	04
32			307/1	00	09
33			307/70	00	03
34			267	00	39
35			266	00	39
36			277	00	10
37			278	00	29
38			280	00	30
39			280 (रासता)	00	01
40			281	01	03
41			282	00	15
42			283	00	37
43			283 (रासता)	00	01
44			284	00	11

[फा. सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O.3533(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3949(E) dated the 25th October 2019 and S.O.No. 2250 (E) dated 07/07/2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 31st October 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 18 February 2020 and 20th July 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, competent authority or state government or Corporation on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Rajapur		District : Mahbubnagar		State : Telangana	
Sr.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rajapur	1.Edganpalle	Dindi River	00	17
2			357	00	09
3			356	00	01
4			358	00	02
5			354	00	18
6			353	00	11
7			351	00	12
8			369	00	05
9			350	00	08
10			349	00	14
11			348	00	10
12			347	00	11
13			346	00	15
14			345	00	08
15			342	00	02
16			344	00	01
17			433 (Mud Road)	00	01
18			243	00	09
19			243 (Nala)	00	03
20			244	00	04
21			250	00	37
22			251	00	23
23			259	01	06
24			258	00	17
25			254	00	10
26			256	00	03
27			255	00	24
28			255(Mud Road)	00	01
29			307/48	00	01
30			307/48 (Nala)	00	02
31			307/47	00	04
32			307/1	00	09
33			307/70	00	03
34			267	00	39
35			266	00	39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36			277	00	10
37			278	00	29
38			280	00	30
39			280 (Mud Road)	00	01
40			281	01	03
41			282	00	15
42			283	00	37
43			283 (Mud Road)	00	01
44			284	00	11

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3534(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3948(अ) तारीख 25 अक्टूबर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31 अक्टूबर 2019 और संख्या का. आ. 2247(अ) तारीख 07 जुलाई 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 07 जुलाई 2020 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 18 फरवरी 2020 और 20 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : घनपुर		जिला : बनावरथी		राज्य : तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	घनपुर	2.मनाजीपेट	220	01	02
2			221	00	31
3			222	00	27
4			58	00	10
5			58 (रासता)	00	03
6			225	00	33
7			227	00	28
8			57	00	23
9			229	01	02
10			233	00	27
11			234	00	16
12			235	00	01
13			236	00	16
14			237	00	02
15			238	00	10
16			239	01	02
17			247	00	26
18			268	00	34
19			269	00	08
20			269 (रासता)	00	01
21			270	01	00
22			19	00	29
23			18 (नहर)	00	05
24			18	00	20
25			17	00	21
26			16	00	01
27			277	00	03
28			13	00	24
29			12 (रासता /नाला)	00	01
30			12	00	33
31			296	00	39
32			294	00	13
33			297	00	22
34			297 (रासता)	00	01
35			298	00	07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36			299	00	05
37			301	01	05
38			357 (रासता)	00	01
39			357	00	13
40			356	00	16
41			355	00	09
42			351	00	06
43			352	00	33
44			346	00	13
45			346 (रासता)	00	01
46			315	00	37
47			315 (नाला)	00	02
48			316	00	35
49			316 (रासता)	00	02
50			317	00	10
51			318/3	00	01

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3534(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3948(E) dated the 25th October 2019 and S.O.No. 2247 (E) dated 07/07/2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 31st October 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 18 February 2020 and 20th July 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Ghanpur		District : Wanaparthy		State : Telangana	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ghanpur	2.Manajipet	220	01	02
2			221	00	31
3			222	00	27
4			58	00	10
5			58 (Mud Road)	00	03
6			225	00	33
7			227	00	28
8			57	00	23
9			229	01	02
10			233	00	27
11			234	00	16
12			235	00	01
13			236	00	16
14			237	00	02
15			238	00	10
16			239	01	02
17			247	00	26
18			268	00	34
19			269	00	08
20			269 (Cart Track)	00	01
21			270	01	00
22			19	00	29
23			18 (Canal)	00	05
24			18	00	20
25			17	00	21
26			16	00	01
27			277	00	03
28			13	00	24
29			12 (Cart Track/Nala)	00	01
30			12	00	33
31			296	00	39
32			294	00	13
33			297	00	22
34			297 (Cart track)	00	01
35			298	00	07
36			299	00	05
37			301	01	05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38			357 (Cart Track)	00	01
39			357	00	13
40			356	00	16
41			355	00	09
42			351	00	06
43			352	00	33
44			346	00	13
45			346 (Cart Track)	00	01
46			315	00	37
47			315 (Nala)	00	02
48			316	00	35
49			316 (Mud Road)	00	02
50			317	00	10
51			318/3	00	01

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.